**SHODH SAMAGAM**

**ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)**

# भारतीय स्टेट बैंक की गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों की समस्याएं एवं उपाय

**राम शंकर पांडेय,** (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
एसएस पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

**ORIGINAL ARTICLE**

**Corresponding Author**
**राम शंकर पांडेय,** (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग
एसएस पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 21/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 28/03/2023
Plagiarism : 00% on 21/03/2023

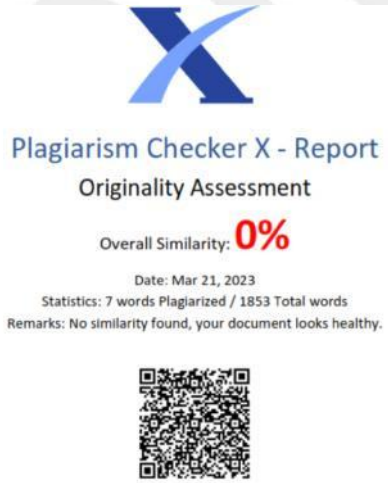


## शोध सार

*भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए में बहुत बढ़ोतरी बैंकों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं जिसके कारण बैंकों की वित्तीय क्षमता प्रभावित होने के साथ–साथ कई बैंक ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसी समस्या से निजात पाने हेतु दिसंबर 1967 में राष्ट्रीय ऋण परिषद्', (एनसीसी) की स्थापना की गई जिसने 1968 में प्रोफेसर डीआर गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शाखाएं नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण संबंधी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते।[2] भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की शाखाएं वृद्धि हेतु नरीमन समिति का गठन किया। समिति ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा की अग्रणी बैंक योजना जिसे लीड बैंक स्कीम भी कहा जाता है बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक को कुछ विशेष जिलों पर ध्यान केंद्रित करने करके कार्य करना चाहिए।[3] आरबीआई ने दिसंबर 1969 में पूरे देश में लीड बैंक स्कीम लागू करके प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया और अपेक्षा की कि वे जिले में कृषि लघु एवं कुटीर उद्योग एवं आर्थिक नेता के रूप में कार्य करें, जिससे सरकार और भारतीय रिजर्व योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। अब देखना यह है कि बैंक एनपीए समस्या पर कैसे काबू पा सकती है।*

## मुख्य शब्द

**एनपीए, अर्थव्यवस्था, गाडगिल समिति, नरीमन समिति, लीड बैंक योजना, आरबीआई.**

## प्रस्तावना

वर्तमान समय में प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में बैंकों

की भूमिका होती है। डिजिटल लेनदेन के अनेक रूप बैंकों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। बैंकों की लगातार बढ़ रही गैर–निष्पादन परिसंपत्ति बैंकों के लिए बहुत ही परेशानी उत्पन्न करती है, इसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार एवं रिजर्व बैंक ने समय–समय पर अनेक समितियां गठित करके अनेक योजनाएं चलाई हैं। इन कार्यक्रमों में लीड बैंक स्कीम का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत शोध में भारतीय रिजर्व बैंक मे एनपीए की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

## अध्ययन के उद्देश्य

एसबीआई बैंक की एनपीए की समस्याओं से कैसे निपटा जा सके, क्या उपाय किए जा सके इस शोध पत्र में इसका अध्ययन मुख्य रूप से किया जाएगा। जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता हैः

1. बैंकों को आबंटित जिलों के प्राथमिक क्षेत्र एवं समाज के निर्धन लोगों के बीच बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध किस प्रकार कराया जाए तथा उस ऋण का सही उपयोग हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाए।
2. सरकार के द्वारा ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाना चाहिए।
3. समाज के सभी वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जरूरतों का प्रावधान किया जा रहा है कि नहीं इस बात का भी पता लगाना।
4. भारतीय स्टेट बैंक में एनपीए के कारणों की खोज करने तथा बढ़ता हुआ एनपीए किस प्रकार कम होगा इस बात का अध्ययन करना।
5. बढ़ता हुआ एनपीए किस प्रकार से एस बी आई बैंकिंग व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है इस बात का पता लगाना।
6. एसबीआई बैंक किस प्रकार से अपने पास अधिक से अधिक जमा धनराशि जुटाने का गहन प्रयास कर रहे हैं या नहीं।
7. बैंकों के एनपीए को किस प्रकार कम करके नियंत्रण किया जाए इसके के लिए आवश्यक उपाय की चर्चा करना।

## अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत पेपर में प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत जिले की अग्रणी बैंक शाखा प्रबंधक से व्यक्तिगत चर्चा की गयी। द्वितीयक आंकड़ों के रूप में आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट एसबीआई की वार्षिक रिपोर्ट, इकनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण योजना एवं कुरुक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण मासिक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया।

## गैर–निष्पादन परिसंपत्ति

गैर निष्पादन परिसंपत्ति किसी बैंक द्वारा दिए गए कर्जे की व धनराशि है जिसकी वसूली करने में बैंक असमर्थ हो जाता है। ऐसे ऋण जिनकी वसूली एक निश्चित सीमा के पश्चात गैर निष्पादन संपत्ति कहलाती है जो नियमानुसार बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि पर ब्याज और मूल धन की किस्त देय अवधि से 90 दिन या 3 माह के भीतर नहीं चुकाया जाता। जबकि कृषि क्षेत्र में दिया गया ऋण की स्थिति अवधि या 180 दिन या 6 माह तक नहीं चुकाया जाता, एनपीए के अंतर्गत आता है। हालांकि बैंक के पास अधिकार है की लोन न चुकाए जाने पर गारंटी के रूप में रखी गई पर संपत्ति को नीलाम कर के ऋणी को नोटिस दे।

## गैर–निष्पादन पर संपत्ति के प्रकार

एनपीए को तीन भागों में बांटा गया हैः

**उप मानक संपत्तियांः** यदि कोई ऋण लिया हुआ व्यक्ति 90 दिन तक किसी भी रूप में बकाया राशि का

भुगतान नहीं करता है तो इसे ''स्पेशल मेन अकाउंट'' कहा जाता है। यदि कोई स्पेशल मेन अकाउंट 12 महीनों तक के लिए ज्यों का त्यों बना रहे तो इसे ''सब स्टैंडर्ड एसेट्स यानी उप मानक परसंपत्तियां कहा जाता है।

**संदिग्ध परिसंपत्तियों:** इस वर्ग के अंतर्गत उन संपत्तियों को रखा जाता है जो 12 माह से अधिक समय तक एनपीए रही हैं अर्थात् ग्राहक की इस पर किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती तो बैंक किसे ''डाउटफुल ऐसेट ''एनपीए करार दे देता है।

**हानि वाली संपत्तियां:** ऐसी संपत्ति जिनकी कीमत कम प्राप्त हो या जो पूर्ण रूप से डूब चुकी होती हैं जिनसे बैंक का लाभ घटता है उन्हें आंतरिक या बाह्य एडिटर द्वारा हानि पूर्ण संपत्ति के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है, उन संपत्तियों को हानि पूर्ण संपत्तियां कहा जाता है।

गैर निष्पादन परिसंपत्ति के कारण निम्नलिखित हैं:

1. सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफ करना।
2. औद्योगिकीकरण ऋण की वापसी न होना।
3. बैंकों की कार्य क्षमता एवं कार्य पद्धति।
4. बैंकिंग आदत कम विकसित होना।
5. भ्रष्टाचार की समस्या।
6. बैंकिंग अधिकारियों एवं ऋणी के बीच तालमेल का अभाव।

## बढ़ते एनपीए के प्रभाव

1. बैंकों की लेनदेन की क्षमता कम हों जाती है।
2. एनपीए के कारण बैंकों के लाभ में वृद्धि नहीं होती।
3. बैंकों की नकदी प्रवाह कम हो जाती है।
4. सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पाता।

## भारतीय स्टेट बैंक में गैर–निष्पादन संपत्तियों का विवरण

भारतीय स्टेट बैंक को भारत में सबसे अधिक विश्वासनीय तथा लोकप्रिय बैंक माना जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। वर्तमान में देशभर में लगभग 22428 इसकी शाखाएं हैं जिनमें 4,35,000,000 ग्राहक हैं तथा इनके कर्मचारियों की संख्या 244250 है। इसके एटीएम लगभग 59000 है तथा 36 विभिन्न अन्य देशों में इसकी 190 विदेशी शाखा कार्यालय हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख श्री दिनेश कुमार खरा जी हैं। इसके 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय और 101 आंचलिक कार्यालय पूरे देश में स्थित है। वर्तमान में इसके चार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो 12 भारतीय भाषाओं में ग्राहकों को 24 घंटे सेवा प्रदान कर रहे हैं:

1. 18001234, 2. 18002100, 3. 1800112211, 4. 18004253800

विश्व के अनेक देशों की गैर निष्पादन संपत्तियों पर 27 दिसंबर 2017 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ''केयर रेटिंग्स ''के द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत विश्व का पांचवा सबसे अधिक एनपीए वाला देश है। सिर्फ चार देश ग्रीस 36.37 प्रतिशत, इटली 16.35 प्रतिशत, पुर्तगाल 15.52 प्रतिशत, तथा आयरलैंड 11.50 प्रतिशत उपस्थित के साथ भारत की स्थिति 9.85 हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र मे लीड बैंक की पहुंचने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है जिससे बैंकों की को पर्याप्त नकदी प्राप्त होती है। एनपीए के कारण बहुत से बैंक घाटे में चल रहे हैं।

एसबीआई बैंक का विवरण निम्न है:

| वर्ष (मार्च तक) | सकल NPA (करोंड़ में) | नेट NPA (करोंड़ में) |
|---|---|---|
| 2018 | 223,427.46 | 110,859.78 |
| 2019 | 172,750.36 | 65894.74 |
| 2020 | 149,091.85 | 51871.30 |
| 2021 | 126,389.02 | 36809.72 |
| 2022 | 112,023.37 | 27965.71 |

*(स्त्रोतः आर०बी०आई वेवसाइड [4])*

## एनपीए को रोकने के उपाय

1. पंजाब नेशनल बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति ''प्रोजेक्ट सशक्त इण्डिया''AMC लागू करने का निर्णय लिया।

   इस समिति से 'बैड बैंक' की व्यावहारिकता परखने एवं संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के गठन के लिये सिफारिश दिये जाने हेतु कहा गया था।

   500 करोड़ रुपए से अधिक के फँसे ऋण के लिये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी।

   बैंकों द्वारा NPA घोषित किये हुए ऋण को खरीदेगा जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा।

   यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा।

   सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी।

   इस समिति में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी एस जयकुमार तथा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सी वेंकट नागेश्वर शामिल थे।[5]
2. NPA की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु आर०बी०आई० ''सामरिक ऋण पुर्नगठन'' योजना शुरू की है। उदाहरण के लिये एक ऋणदाता ब्याज दर या मासिक भुगतान को कम करने के लिये ऋण का पुनर्गठन कर सकता है। ऋण पुनर्गठन का विकल्प सामान्यतः ऐसी स्थिति में चुना जाता है जब उधारकर्त्ता ऋण की पुरानी शर्तों के तहत ब्याज अथवा मासिक भुगतान करने में असमर्थ होता है।[6]
3. एनपीए की समस्याएं निजी बैंक की अपेक्षा सार्वजनिक बैंकों में अधिक देखने को मिलती हैं जिसके कारण जो बैंक घाटा में चल रहे हैं उनका निजीकरण कर देना चाहिए।
4. किसी विकासशील अर्थव्यस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में खनन, लौह, इस्पात, वस्त्र, तथा बुनियादी ढांचा शामिल है जिन से वापसी का जोखिम होता है।
5. ऋणों के भुगतान में तेजी लाने के लिए लोक अदालतें और ऋण वसूली प्राधिकरण जैसी अन्य विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।
6. बकायेदारों के बारे में सक्रिय रूप से कड़ी कार्यवाही करें।
7. ऋणी के साथ समझौता के आधार पर भी एनपीए को कम किया जा सकता है।
8. बकायेदारों की सूची को सार्वजनिक करना चाहिए।
9. सरकारी बैंकों के कामकाज को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए।
10. किसी कंपनी को ऋण स्वीकृत करने से पहले उसकी भी स्थिति और परियोजना की व्यवहारिकता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
11. बैंकों में व्याप्त अंदरूनी तथा अन्य खामियों का इलाज बैंक के क्रियाकलापों में बेवजह दखलअंदाजी पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी की मदद से निश्चित रूप से रोका जा सकता है।[7]

## निष्कर्ष

भारत की बैंकिंग प्रणाली प्रतिकूल वातावरण में कार्य कर रही है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्तियां, गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता, उनके मुनाफा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयासरत् है। अधिक एनपीए को रोकने के कारण बैंक को घाटा लाखों लोगों को रोजगार, नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुंचाना, अर्थव्यवस्था को मजबूती विकास को गति देना संभव है। बैंकों को सही समय पर सोच–समझ कर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से बढ़ते एनपीए को निश्चित रूप से रोकने में मदद मिलेगी।[8] इसके अतिरिक्त सरकार को निजी बैंकों की अपेक्षा सार्वजनिक बैंकों को अधिक अधिकार देने चाहिए।[9]

## संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय ऋण परिषद् (एनसीसी)।
2. गाडगिल समिति 1968।
3. नरीमन समिति 1969।
4. भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (मार्च 2018 से मार्च 2022)।
5. प्रोजेक्ट सशक्त इण्डिया।
6. सामरिक ऋण पुर्नगठन योजना।
7. कुमार सतीश, लाल मुरारी, बैंकिग एवं बीमा एस०बी०पी०डी०।
8. गिरकर दीपक, *एनपीए एक लाइलाज बीमारी नहीं,* साहित्य भूमि प्रकाशन, दिल्ली।
9. यूनियन सृजन पत्रिका दिसम्बर 2017।

********